

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2016—आषाढ़ 23, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्र. बी-8-13-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यूनिफाईड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) के पायलट आधार पर क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा एवं रतलाम जिलों का चयन किया गया है. इस योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा होशंगाबाद एवं छिन्दवाड़ा जिले में तथा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड कम्पनी द्वारा रतलाम जिले में (जो उक्त तीनों जिलों से संबंधित क्लस्टर में एल-1 है) के द्वारा किया जाना है.

UPIS के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अनिवार्य रूप से किसान द्वारा लिया जाना है. शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है, एवं इसका लाभ नहीं उठाने पर किसान को घोषणा-पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है. योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

UPIS योजना में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	बीमित राशि (रु.) (3)	सांकेतिक प्रीमियम राशि (4)
1	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
2	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पाँवर तक)	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)
	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
	(स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	
	(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
5	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति
6	कृषि ट्रैक्टर बीमा	कृषि ट्रैक्टर हेतु स्टेण्डर्ड मोटर बीमा पॉलिसी के अनुसार नियम लागू होंगे.	

सभी नियम भारत सरकार की यूनिफाइड पैकेज इश्योरेंस स्कीम गाइड लाईन के अनुसार लागू होंगे.

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.एस. धुर्वे, उपसचिव.